न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 73/2022

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना बालोतरा जिला बाड़मेर		श्री भागीरथराम पुत्र श्री भारमल जाति बिश्नोई निवासी लच्छीवाड पुलिस थाना सांचोर जिला जालोर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 28.09.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 03.10.2021 को थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा में जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि सिणधरी रोड मेगा हाईवे पर स्थित सहयोग होटल के सामने पिकअप गाडी से मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डीजल) का बेचान किया जा रहा है तथा उसके पास में एक बड़ा टैंकर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डीजल) से भरे हुए को बेचने हेतु खड़ा कर रखा है। इस पर पुलिस उप अधीक्षक धनफूल मीणा आरपीएस मय जाब्ता हरफूलसिंह एएसआई मय सरकारी वाहन व चालक मोहनराम न0 957 मय अनुसंधान बॉक्स एवं निजी प्रिंटर व लेपटॉप रात्रि ड्यूटी के दौरान कस्बा बालोतरा में पुलिस थाना बालोतरा के लुम्बाराम हैडकानि 714 मय जाब्ता संदीप क[illegible] 1683, हेतराम आरएसी सीटी 411, सुनिल कुमार आरएस[illegible] 765 सीटी व सरकारी पीसीआर वाहन को बुलाकर [illegible] पहुंचे। होटल के [illegible] एक पिकअप गाड़ी खड़ी एवं उसके पास एक टैंकर [illegible]ड़ा हुआ दिखाई दिया। [illegible]अप गाड़ी व टैंकर के पास खड़े दो व्यक्ति पुलिस पार्टी के देख अंधेरे का फायदा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:56:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उठाकर झाड़ियों में भाग गये, जिनकी पहचान नहीं हो सकी। उक्त जब्तशुदा पिकअप गाड़ी में रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं थे तथा चैसिस नंबर स्पष्ट नहीं थे किन्तु अंत के आठ अंक 51D20759 स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, के पीछे बॉडी में दो प्लास्टिक की बड़ी टंकियों में से मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डीजल) को बेचने हेतु पिकअप की केबिन के अंदर में नोजल व मीटर लगाा हुआ था एवं दोनों टंकियों में माप करने पर कुल 1520 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डीजल) भरा होना पाया गया। उक्त पिकअप के पास खड़े टैंकर नंबर GJ 18 AT9979 की टंकी के पांच हिस्सों में कुल 24,000 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डीजल) भरा होना पाया गया। उक्त वाहन के अन्दर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डीजल) जैसा पदार्थ भरकर परिवहन व बेचान करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज या लाईसेंस भी नहीं होना पाया गया। उक्त पिकअप गाडी के पीछे बॉडी में रखी टंकियां जो आपस में जोड़ी हुई थी, में से 750 एमएल कांच की बोतल में नमूना सैम्पल वास्ते रासायनिक परीक्षण लिया जाकर सील चेपा किया गया तथा शेष मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डीजल) को उन्हीं टंकियों में रहने दिया जाकर पिकअप में रखी दोनों टंकियों के ढक्कनों को मार्क अंकित कर सीलबंद किया गया। इसी प्रकार टैंकर को भी चैक किया और सीलबंद हालत में टैंकर को जब्त किया गया। उक्तानुसार मुखबिर की सूचना पर मुकदमा संख्या 515 दिनांक 03.10.2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज कर अन्वेषण शुरू किया गया। प्रकरण में जब्तशुदा पिकअप गाड़ी के पीछे बॉडी में रखी टंकियों, जब्तशुदा टैंकर व अवैध मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डीजल) के संबंध में मेगा हाईवे, होटल–ढाबों से अज्ञात मुलजिम को नामजद कर वाहन मालिक मुलजिम भागीरथराम को दस्तयाब कर बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में सम्पन्न अनुसंधान, बरामदगी अवैध मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डीजल), परिवहन में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी के पीछे बॉडी में रखी टंकियों, टैंकर, बयान गवा[illegible] एफएसएल कागजात, रोड सर्टिफिकेट, पूछताछ मुलजिम, मुलजिम द्वारा प्रदत्त धारा 27 की इत्तला व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम भागीरथराम पुत्र भारमल जाति बिश्नोई उम्र 47 वर्ष पेशा चालक निवासी लच्छीवाड पुलिस थाना सांचोर जिला जालोर द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डीजल)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:56:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपने कब्जे में रखना, परिवहन करना तथा विक्रय करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थी भागीरथराम के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा पिकअप गाड़ी में रखी प्लास्टिक की टंकियों में भरे 1520 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डीजल) एवं टैंकर नंबर GJ 18 AT9979 में भरे गये 24,000 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डीजल) का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है तथा प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया। इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई कर प्रस्तुत अभिलेखों एवं रिपोर्ट के आधार पर अंतिम बहस सुनी गई।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम भागीरथराम पुत्र भारमल जाति बिश्नोई उम्र 47 वर्ष पेशा चालक निवासी लच्छीवाड पुलिस थाना सांचोर जिला जालोर द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डीजल) अपने कब्जे में रखना, परिवहन करना तथा विक्रय करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचना दिये जाने के बावजूद अपना जवाब एवं पक्ष प्रस्तुत नही किया है और न ही उपस्थित होकर प्रतिवाद किया है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा पिकअप गाड़ी में रखी प्लास्टिक की टंकियों में भरे 1520 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डीजल) एवं टैंकर नंबर GJ 18 AT9979 में भरे गये 24,000 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डीजल) राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:56:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के उल्लंघन मे पाये गये पिकअप गाड़ी में रखी प्लास्टिक की टंकियों में भरे 1520 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डीजल) एवं टैंकर नंबर GJ 18 AT9979 में भरे गये 24,000 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डीजल) राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर उक्त राजसात किये गये पिकअप गाड़ी में रखी प्लास्टिक की टंकियों में भरे 1520 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डीजल) एवं टैंकर नंबर GJ 18 AT9979 में भरे गये 24,000 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डीजल) का सार्वजनिक नीलामी द्वारा निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक पालना कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 28.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:56:38 IST
Reason: SelfAttested